वि.स.तारां. प्रश्न क्र.1004 परिशिष्ट [19/3/2020] 216

प्रश्न सं. [क्र.1004] मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 4/10/2018 5

क्रमांक एफ 2–67/2015/1/55
प्रति,

आयुक्त,
चिकित्सा शिक्षा
भोपाल म.प्र.।

विषय :– शासकीय मेडिकल कालेज में डाक्टरों के मासिक स्टायपण्ड में वृद्धि।

संदर्भ:– इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 28/31.12.2015.

--0--

राज्य शासन एतद् द्वारा दिनांक 1/8/2018 से प्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में डाक्टरों के मासिक स्टायपण्ड में निम्नानुसार वृद्धि की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है :–

क्रमांक	पदनाम	वर्तमान	स्वीकृत
1	इन्टर्न	8,000	10,000
2	डिप्लोमा/पीजी प्रथम वर्ष	45,000	55,000
3	डिप्लोमा/पीजी द्वितीय वर्ष	47,000	57,000
4	पीजी तृतीय वर्ष	49,000	59,000
5	सीनियर रेजीडेंट	49,000	65,000
6	जूनियर रेजीडेंट	36,000	45,000
7	एमबीबीएस ग्रामीण क्षेत्र में सेवा	28,000	55,000
8	डिप्लोमा ग्रामीण क्षेत्र में सेवा	36,000	57,000
9	पीजी ग्रामीण क्षेत्र में सेवा	38,000	59,000

2/– यह स्वीकृति मंत्रि–परिषद आदेश आयटम क्रमांक 50 दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 में लिए गए निर्णय के अनुक्रम में जारी की गई है।

3/– यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 648/R/809/B-6 दिनांक 5-10-2018 द्वारा महालेखाकार ग्वालियर को पृष्ठांकित की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
5/10/18
(शर्मिला ठाकुर)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग, मंत्रालय
पृष्ठांकन क्र0 133 /सी.आर 809 /ब.क्र. 6
/चार, दिनांक 5/10/2018 द्वारा महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर ... एक अतिरिक्त प्रति सहित अग्रेषित।
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

--1--

अनुभाग अधिकारी
म0 प्र0 शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

217

भोपाल दिनांक: 04/10/2018

पृ.क्रमांक: एफ 2–67/2015/1/55

प्रतिलिपि:–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय मंत्रालय भोपाल म.प्र.।
2. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय भोपाल म.प्र.।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल म.प्र.।
4. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल म.प्र.।
5. निज सचिव, माननीय राज्य मंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा विभाग भोपाल म.प्र.।
6. संबंधित आयुक्त, संभाग..।
7. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल।
8. संबंधित अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, ...म.प्र.।
9. प्राचार्य, दंत चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर म.प्र.।
10. प्राचार्य, शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, इंदौर म.प्र.।
11. संचालक, मानसिक आरोग्यशाला ग्वालियर म.प्र.।
12. संचालक, क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान भोपाल म.प्र.।
13. अधीक्षक, मानसिक आरोग्यशाला, ग्वालियर म.प्र.।
14. संबंधित संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबंद्ध चिकित्सालय................म.प्र.।
15. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी.............................।
16. आर्डर बुक

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

4/10/18

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

अनुभाग अधिकारी
म० प्र० शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

परिशिष्ट–2

ऐसे छात्र जिनका चयन इंटर्नशिप पूर्ण होने के 01 वर्ष के भीतर अन्यत्र पीजी कोर्स हेतु होता है, ऐसी स्थिति में इन छात्रों से शपथ पत्र लिया जाता है जिसमें छात्र द्वारा पीजी कोर्स पूर्ण करने के उपरांत बाण्ड अवधि की ग्रामीण सेवा अनिवार्य रूप से किए जाने का उल्लेख होता है, अनिवार्य सेवा नहीं करने पर छात्र के एमसीआई रजिस्ट्रेशन निरस्त किए जाने का भी उल्लेख होता है। अभिभावक से छात्र द्वारा बाण्ड अवधि की सेवा पूर्ण न करने पर बाण्ड राशि का भुगतान किए जाने संबंधी शपथ पत्र लिया जाता है, अन्य छात्रों से बाण्ड राशि के बराबर की बैंक गारंटी संबंधित महाविद्यालय में जमा कराने के उपरांत ही पीजी कोर्स हेतु NOC दी जाती है, सभी छात्रों की NOC में उनके बाण्डेड छात्र होने का उल्लेख होता है।

उप संचालक
चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश

अनुभाग अधिकारी
म० प्र० शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
मंत्रालय, भोपाल